मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरूवार, दिनांक 9 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 18, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 22 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 80 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति पर दी गई स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एवं नियम 139 के अधीन चर्चा की मांग के समर्थन में अनुरोध किया गया कि संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार (कौल एवं शकधर) के अनुसार बजट पर चर्चा के दौरान भी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय होने पर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधिक मत व्यक्त किया गया कि गृह विभाग की बजट मांगों पर इस विषय पर चर्चा का अवसर उपलब्ध है, माननीय सदस्यगण उस समय अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद भी चर्चा अधूरी हो तो अध्यक्ष महोदय के निर्णयानुसार नियम 139 के अधीन चर्चा की जा सकती है किन्तु न्याय-निर्णयाधीन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि नियमों के साथ साथ, यह अध्यक्ष महोदय के विवेक पर निर्भर है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं पर सदन में चर्चा का अवसर प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि - "माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपनेता एवं कांग्रेस दल के अन्य माननीय सदस्यों की भावनाओं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया संबंधी व्यवस्थाओं को सुनने के पश्चात् मैं स्वविवेक को साक्षी रखकर यह निर्णय दे रहा हूँ कि बजट पर चर्चा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नियम 139 के अधीन कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में चर्चा कराने का पर विचार करेंगे।"

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा "दादा", सदस्य ने रतलाम में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने,

(2) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य ने उज्जैन के महिदपुर में हाथलिया खेडी स्टपडेम की राशि स्वीकृत उपरांत भी निर्माण कार्य न होने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने मुरैना में भ्रूण लिंग परीक्षण से उत्पन्न स्थिति होने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर में ग्राम बांसेड, बांसरैया में एक माह से विद्युत लाईन बंद होने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने राज्य शासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवाओं में आरक्षण का कोटा कम किये जाने,

(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय में स्टाफ द्वारा पैसा लेकर भ्रष्टाचार फैलाये जाने,

(7) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने प्रदेश में पानी की कमी से हाहाकार मचाने तथा

(8) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य ने बीना में रेल्वे पुल बनाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यता शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य ने भिण्ड जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-एक के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में स्थाई विद्युत कनेक्शन न दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने भिण्ड जिले के कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना स्थल से पांच व्यक्तियों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, गिरीश गौतम, विश्वामित्र पाठक सदस्य ने लोक शिक्षण संचालनालय में उप संचालकों के पद पर अपात्र व्यक्तियों की पदस्थापना होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 12.58 बजे से 2.38 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल
(3) श्री देवेन्द्र वर्मा

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिनांक 7 एवं 8 जुलाई, 2009 से निरन्तर चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री गिरीश गौतम ने अपना भाषण पूर्ण किया.

(27) श्री राधेश्याम पाटीदार
(28) श्री श्रीकांत दुबे
(29) श्री बृजेन्द्र सिंह
(30) श्री देवेन्द्र वर्मा
(31) श्री प्रदीप जायसवाल
(32) श्री लक्ष्मण तिवारी
(33) श्री सुरेश चौधरी
(34) श्री ब्रजराज सिंह
(35) श्री तुलसीराम सिलावट
(36) श्री मोतीलाल तिवारी
(37) श्रीमती इमरती देवी
(38) श्री अजय यादव
(39) श्री राजवर्द्धन सिंह
(40) श्री मूल सिंह
(41) श्री बालाराम बच्चन
(42) श्री राकेश शुक्ला
(43) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(44) श्री सुदामा सिंह
(45) श्री लखन घनघोरिया
(46) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(47) श्री रत्नेश सालोमन
(48) श्री मनीराम धाकड़

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा डॉ. गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 5.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 19, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.